सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
2022-2023)

113

सत्रहवीं लोक सभा

एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन

[पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945(शक)

<u>विषय - सूची</u>

पृष्ठ

	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
<u>प्रतिवेदन</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	01
	<u>परिशिष्ट</u>	
<u>परिशिष्ट-एक</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
<u>परिशिष्ट-दो</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	10

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना
(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा अपनी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति के 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित यह एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

47वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को इंगित करते हुए दिनांक 22.11.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

2. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

3. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
23 **मार्च, 2023**
02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>प्रतिवेदन</u>

समिति का यह प्रतिवेदन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अपने 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है जिसे दिनांक 15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था ।

2. समिति के 47 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सभी छह सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण दिनांक 22.11.2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा (आईडब्ल्यूएआई) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब को इंगित किया था और समिति ने यह टिप्पणी की थी कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में समय-सीमा का पालन करने में किसी भी संभावित परिणामी विलंब से बचने के लिए प्रक्रियात्मक पेचीदगियों का पहले से ही ध्यान रखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 'लेखाओं के प्रारूप' की समीक्षा के लिए सीएंडएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण विलंब हुआ। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को कोविड-19 महामारी**

के कारण पूर्ण लॉकडाउन की वजह से सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, जिसे 29.7.2021 को लोक सभा के पटल पर रखा गया है। समिति महसूस करती है कि इस मामले में आवश्यक कार्यसाधकता और सम्यक अध्यवसाय की कमी के परिणामस्वरूप संचित विलंब हुआ है। अतः समिति, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय/आईडब्ल्यूएआई को भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में अधिकृत समय-सीमा का पालन करने और उसके अनुकूल काम करने के अपने प्रयासों में और अधिक अध्यवसायी होने की सिफारिश करती है ताकि अत्याधिक विलंब से बचा जा सके।

नई दिल्ली
23 मार्च, **2023**
02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक
(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के सैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

- - - -

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

समिति नोट करती है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अपने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहा है। समिति इस बात से चिंतित है कि प्राधिकरण के वर्ष 2015-2016, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को क्रमशः 3, 7, 11 और 13 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था और वित्त वर्ष 2019-20*के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

सरकार का उत्तर

आईडब्ल्यूएआई के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षित लेखों को विलंब संबंधी विवरण के साथ संसद के पटल पर रखा गया था क्योंकि सीएंडएजी से वार्षिक लेखापरीक्षित लेखें विलंब से प्राप्त हुए थे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखों को विलंब संबंधी विवरण के साथ मानसून सत्र के दौरान दिनांक 05.08.2022 को लोक सभा के पटल पर रखा गया है।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

(सिफारिशें/टिप्पणियां क्रम संख्या 14)

सिफारिशें/टिप्पणियां

समिति को अवगत कराया गया है कि लेखांकन प्रारूप में बदलाव, लेखा प्रारूप को अंतिम रूप देने, वार्षिक लेखापरीक्षा की तीन चरण की प्रक्रिया और व्यय में वृद्धि अन्य सहायक कारकों के साथ-साथ विलंब के कारण रहे हैं, जिससे दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में समग्र विलंब हुआ है। जहां तक लेखा प्रारूप में बदलाव को अंतिम रूप देने के कारण हुए विलंब का संबंध है, समिति इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है और यह जानकर हैरान है कि मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआईनए उस लेखा प्रारूप को लागू करने की अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहे हैं जिसे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक दशक से अधिक भी पहले 2005 में अनुमोदित और दिनांक 13.07.2020 को अधिसूचित किया गया था। यह और भी विस्मयकारी है कि दिनांक 22.09.2020 को मंत्रालय और प्राधिकरण के मौखिक साक्ष्य के दौरान, अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई ने समिति को सूचित किया कि वर्ष 2017 में लेखा प्रारूप पर महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बाद ही प्राधिकरण ने लेखांकन प्रारूप को संशोधित करना शुरू किया था। हालांकि, बताया गया है कि इस मुद्दे को अब हल कर दिया गया है, फिर भी, समिति को नए लेखा प्रारूप के कार्यान्वयन की अधिसूचना और इसके विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया गया है।

सरकार का उत्तर

समिति ने लेखा प्रारूप के संशोधन में हुई विलंब के संबंध में प्राधिकरण द्वारा परिपत्र संख्या आईडब्लू एआई/ प्रशा./ वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20/2022 दिनांक 26.09.2022 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-11011/11/2021-संसद दिनांक 19.09.2022 द्वारा बताया था। इस संबंध में लेखों के संशोधित प्रारूपों की तथ्यात्मक स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है-

1. आईडब्ल्यूएआई नियम, 1986 के नियम 28 (2) के अनुसार, यह, प्राधिकरण को लेखाओं की उचित पुस्तकों को बनाए रखने और तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा युक्त वार्षिक विवरण तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। पत्र संख्या रिपोर्ट/3-2/87-88/41 दिनांक 16.05.1989 के अनुसार, लेखाओं के प्रारूप को आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाने के लिए लेखांकन नीतियों के साथ एमएबी -1 द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1988-89 से आईडब्ल्यूएआई ने 31.03.2002 तक तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखाओं के साथ अनुमोदित प्रारूप में अपने वार्षिक लेखे तैयार किए थे।

2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नौवहन विभाग (आईडब्ल्यूटी अनुभाग) ने लेखांकन के संशोधित प्रारूप के बारे में पत्र संख्या जी-25020/1/2004-आईडब्ल्यूटी दिनांक 28.02.2005 द्वारा इसके वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए आईडब्ल्यूएआई को संप्रेषित किया।

3. इसके अतिरिक्त, 'केंद्रीय स्वायत्त संगठन / संस्थानों के लिए लेखाओं के सामान्य प्रारूप' के संबंध में पत्र संख्या पीएओ (एसएच)/स्वायत्त निकायों की सूची/2005-06/540-556 दिनांक 02.08.2006 के साथ पत्र संख्या पीएओ/नियंत्रण/स्वायत्त निकायों की सूची/2005-06/302- 517 दिनांक 20.10.2005 और सं. पीएओ (एसएच)/स्वायत्त निकायों की सूची/2005-06/300-323 दिनांक 15.06.2006 लेखा नियंत्रक के कार्यालय, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा आईडब्ल्यूएआई को अग्रेषित किए गए थे।

4. आईडब्ल्यूएआई ने वित्त वर्ष 2003-04 से पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सीएंडएजी कार्यालय द्वारा यथा अनुमोदित लेखों का प्रारूप स्वीकार किया। तदनुसार, आईडब्ल्यूएआई निर्धारित प्रारूप के अनुसार वार्षिक लेखा तैयार कर रहा है।

5. वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के दूसरे चरण की लेखापरीक्षा के दौरान 2014-15 सीएंडएजी ने 'लेखों के प्रारूप' का अवलोकन किया और सुझाव दिया कि आईडब्ल्यूएआई के वार्षिक लेखों के प्रारूप की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

6. जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सुझाव दिया था, आईडब्ल्यूएआई के वार्षिक लेखाओं के प्रारूप की समीक्षा की गई और संशोधित किया गया। इसे आईडब्ल्यूएआई बोर्ड की 164वीं प्राधिकरण बैठक में स्वीकृत किया गया।

7. सीएंडएजी, मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई द्वारा विस्तृत जांच और सुधार के बाद, जहां भी आवश्यक हो, लेखों के संशोधित प्रारूप को अंततः 13.07.2020 को अनुमोदन के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

(सिफारिशें/टिप्पणियां क्रम सं. 15)

सिफारिशें/टिप्पणियां

समिति यह भी नोट करती है कि आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाई जाने वाली तीन चरण की लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसे विलंब के कारणों में से एक बताया गया है, वह वार्षिक प्रक्रिया है जिसका पालन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अपने अधिदेश के अनुसार करते हैं। जाहिर है, इन प्रक्रियात्मक पेचीदगियों को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और निर्धारित लक्ष्यों का पालन करते हुए किसी भी संभावित परिणामी विलंब से बचने के लिए अग्रिम रूप से ध्यान रखा जा सकता है। समिति का दृढ़ मत है कि नियमित रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विलंब की आगे पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है और सम्यक अध्यवसाय कर इससे बचा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि समिति ने परिपत्र सं0 आईडब्ल्यूएआई/प्रशा./वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20/2022 दिनांक 26.09.2022 के साथ कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-11011/11/2021-संसद के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक और दो चरण लेखापरीक्षा के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विवरण नीचे दिया गया है –

एक. यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक लेखाओं का संकलन, इसकी अनुसूचियों और लेखाओं की टिप्पणियों के साथ, आईडब्ल्यूएआई के वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है जिसे **जलमार्ग विकास परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे-** पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, और कोच्चि **और उप-कार्यालय जैसे-** प्रयागराज, वाराणसी, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, एनआईएनआई और साहिबगंज से वार्षिक लेखों के डेटा एकत्र करने के बाद तैयार किया गया था।

दो. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखे कोविड-19 महामारी और पूर्ण लॉकडाउन और कोविड-19 अवधि के दौरान घर से काम करने के कारण क्षेत्रीय / उप कार्यालयों द्वारा 2019-20 को विलंब से प्रस्तुत किए गए थे।

तीन. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं का संकलन कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक

लेखों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा।

चार. उसके बाद, संकलित वार्षिक लेखों के साथ-साथ इसकी अनुसूचियों और लेखाओं के लिए नोट्स, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आई डब्ल्यू ए आई के वित्तीय विवरणों को आंतरिक इकाईयों से प्राप्त होने पर पत्र संख्या आई डब्ल्यू ए आई/वित्त/एए/3452/2019-20 दिनांक 17.08.2020 के माध्यम से सीएंडजी को प्रस्तुत किया गया था ताकि प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की चरण एक और दो सम्बन्धी लेखापरीक्षा आयोजित कराई जा सके।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

(सिफारिशें/टिप्पणियां क्रम सं. 16)

सिफारिशें/टिप्पणियां

समिति यह भी नोट करती है कि जल मार्ग विकास कार्यक्रम (जेएमवीपी) के कार्यान्वयन और नए राष्ट्रीय जलमार्ग आदि के विकास के कारण व्यय भी अधिक हुआ है। औसत वार्षिक व्यय वर्ष 1986-2015 की अवधि में 60.710 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2016 में 700.91 करोड़ रुपए हो गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि लेखापरीक्षा का दायरा बढ़ गया है और अन्ततोगत्वा तीन चरणों में होने वाली वार्षिक लेखापरीक्षा में समय लगने लगा है। समिति यह भी नोट करती है कि जेएमवीपी को एक केंद्रीय परियोजना (यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) के रूप में 4 राज्यों में लागू किया जा रहा है और इनमें से प्रत्येक राज्य में संबंधित महालेखाकार के तहत अपनी लेखापरीक्षा की व्यवस्था है, जिसे जेएमवीपी के तहत भारी व्यय के लिए सीएजी के परामर्श से लेखापरीक्षा संबंधी प्रबंधन में लगभग दो साल लग गए।

सरकार का उत्तर

1. जैसा कि समिति ने पाया, जलमार्ग विकास परियोजनाओं (जेएमवीपी) के कार्यान्वयन और नए राष्ट्रीय जलमार्गों आदि के विकास के कारण व्यय में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सीएजी के परामर्श से संबंधित महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा व्यवस्था का निपटारा किया गया था।

2. समिति की टिप्पणी तथ्यात्मक है। अतः कृपया इस पर आगे कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

(सिफारिश/टिप्पणियां क्रम सं. 17)

सिफारिशें/टिप्पणियां

समिति, पोत परिवहन मंत्रालय से आईडब्ल्यूएआई और सी एंड एजी के समन्वय से भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने और संगठनों द्वारा उनके प्रशासनिक तत्वावधान में विभिन्न निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी में और अधिक सतर्क रहने की सिफारिश करती है। समिति उम्मीद करती है कि सचिव,पोत परिवहन मंत्रालय और अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, नियमों में दी गई समय-सीमा का पालन किया जाएगा और वित्त वर्ष 2019-20 के लंबित वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को और विलंब किए बिना सभा पटल पर रखा जाएगा। समिति चाहती है कि मंत्रालय विलंब से निपटने के लिए तैयार की गई कार्य योजना को कार्यान्वित करे, जिसके लिए आईडब्ल्यूएआई ने भी अपनी जनशक्ति में वृद्धि है।

सरकार का उत्तर

समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को आईडब्ल्यूएआई और सीएंडएजी के समन्वय से समय से सभा पटल पर रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को दिनांक 29.07.2021 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

(सिफारिश क्रम सं. 18)

सिफारिशें/टिप्पणियां

समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि किसी अपरिहार्य कारणवश, आईडब्ल्यूएआई के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखना संभव नहीं हो, तो अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या अगले सत्र की पुन: समवेत होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/11/2021-संसद दिनांक 25.05.2022)

****

परिशिष्ट-दो

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - *सभापति*

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 – 7 xx xx xx

8. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

9 – 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx xx xx xx

Xx xx xx xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।